(ए0एफ0आर0)

(सुरक्षित तिथि 19–8–2019)
(उद्घोषित तिथि 17–9–2019)

दाण्डिक अपील संख्या 21 वर्ष 2000

मलखान सिंह .... अपीलार्थी

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश .... विपक्षी

मानननीय बच्चू लाल, न्यायमूर्ति
माननीय प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

(माननीय बच्चू लाल, न्यायमूर्ति द्वारा प्रदत्त निर्णय)

यह दाण्डिक अपील, अपीलार्थी मलखान सिंह की ओर से **सत्र परीक्षण संख्या 218 वर्ष 1998**, अन्तर्गत धारा 302, 302/34, 307/34 भा0 दं0 सं0, थाना हुसैनगंज, जिला फतेहपुर (राज्य प्रति मलखान सिंह एवं अन्य) एवं सत्र परीक्षण संख्या 219 वर्ष 1998, अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना हुसैनगंज, जिला फतेहपुर (राज्य प्रति मलखान सिंह) में विद्वान नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 12–11–1999 के विरूद्व योजित की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी को धारा 302 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास, धारा 307 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है तथा यह भी आदेशित किया गया कि अपीलार्थी की सभी सजायें साथ–साथ चलेगीं।

अपील के निस्तारण हेतु आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा कमलेश कुमार ने दिनांक 19—10—1997 समय 1—20 ए0 एम0 पर थाना हुसैनगंज, जिला फतेहपुर में एक तहरीर बाबू लाल से लिखवाकर इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि उसकी चाची गीता देवी उम्र 30 वर्ष पत्नी सुरेश गड़रिया को उसके ही गांव का मलखान गड़रिया पुत्र बचई गड़रिया करीब सवा तीन माह पहले भगा ले गया था। दिनांक 15—10—1997 को उसके चाचा, उसकी चाची को फतेहपुर से घर लेकर आये थे और वहीं कचहरी में ही मलखान ने उसके चाचा से सुलहनामा कर लिया था। आज दिनांक 18—10—1997 को रात्रि करीब साढे सात बजे की बात है उसके चाचा के घर के आंगन में लालटेन जल रही थी उसके चाचा सुरेश व उसकी दादी बृजरानी व चाची आंगन में थी वह तथा उसके पिता राम नारायन कटिया मशीन पर चारा काट रहे थे तभी उसकी चाची अपने बच्चे को नापदान पर टट्टी करा रही थी कि उसके गांव का मलखान पुत्र बचई व उनका बहनोई अनन्तू निवासी मसवानी फतेहपुर आकर उसके चाचा को गाली गुफ्ता देने लगें कि साले अब यह मेरी औरत होकर रहेगी कि उसकी चाची गाली देने व साथ रहने को मना किया तभी मलखान ने उसकी चाची को गोली मार दी। गोली लगने से उसकी चाची गिरकर वहीं पर मर गयी उसके चाचा व उसने व उसके पिता ने मलखान व अनन्तू का पीछा किया तो वे लोग उसके चाचा को खेत में गोली मार दियें जिससे उसके चाचा घायल होकर गिर गये। हम लोग अपने चाचा को लेकर अस्पताल में भर्ती कराकर थाने आया हूँ। इस वाक्या को उसने व उसके पिताजी ने व उसके चाचा व दादी ने लालटेन की रोशनी में देखा है। वह रिपोर्ट को आया है। उसकी रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जाए।

वादी की उक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क—1 के आधार पर अपीलार्थी एवं एक अन्य के विरूद्व भा0 दं0 सं0 की धारा 302, 307, 504 के अन्तर्गत थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क—4 है तथा कायमी मुकदमा से सम्बन्धित

जी0 डी की प्रति प्रदर्श क–5 है।

मामले की विवेचना उदल सिंह, थानाध्यक्ष (अभियोजन साक्षी संख्या 5) द्वारा स्वयं ग्रहण की गयी। उन्होंने मुख्य आरक्षी श्याम बिहारी मिश्रा व अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश (वादी) का बयान अंकित किया। घटनास्थल पर जाकर उपनिरीक्षक, आर0 एस0 शुक्ला से मृतका का पंचायतनामा तैयार कराया। पंचायतनामा प्रदर्श क–6 है तथा उससे सम्बन्धित प्रपत्र चालान लाश, फोटो नाश, चिट्ठी प्रतिसार व चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी क्रमशः प्रदर्श क– 7 लगायत प्रदर्श क–10 हैं। विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर उसका मानचित्र प्रदर्श क–11 तैयार किया तथा घटनास्थल से खून आलूदा व सादी मिट्टी कब्जा पुलिस में लेकर सर्वमोहर कर उसकी फर्द प्रदर्श क–12 तैयार की। चुटैल सुरेश जिस स्थान पर गिरा था उस स्थान से भी उन्होनें खून आलूदा व सादी मिट्टी मय घास पत्ती के कब्जे में लेकर उसकी फर्द प्रदर्श क–13 तैयार की। चुटैल सुरेश के घायल होने के स्थान खेत बचून सिंह में से एक खोखा कारतूस 12 बोर मिला जिसे सर्वमोहर कर उसकी फर्द प्रदर्श क–14 तैयार की। इसी खेत से एक पैंट व चप्पल मुलजिम मिला जिसे कब्जा पुलिस में लिया गया जिसकी फर्द प्रदर्श क–15 है। मुलजिम मलखान की साइकिल ननकू के खेत में खडी थी उसको कब्जे में लिया तथा उसकी फर्द प्रदर्श क–16 को अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। तहरीर लेखक बाबू लाल के बयान अंकित किया। दिनांक 20–10–1997 को पंचायतनामा व शेष गवाहों के बयान लिया।

मृतका गीता देवी के शव का शव विच्छेदन दिनांक 19–10–1997 को समय साढे चार बजे शाम डाक्टर हरिश चन्द्र श्रीवास्तव (अभियोजन साक्षी संख्या 4) द्वारा किया गया। डाक्टर के अनुसार, मृतका की आयु करीब 30 वर्ष थी तथा उसकी मृत्यु हुए लगभग एक दिन हो चुका था। मृतका सामान्य कद काठी की थी चेहरे पर सफेदी मौजूद थी। दाहिनी आँख तथा मुँह आधा खुला था। बांयी आँख बंद थी सिर पर मौजूद बालों तथा चेहरे पर खून के

थक्के मौजूद थे। पेट फूला हुआ था तथा पेट के ilioc हिस्से पर हरे रंग का रंग परिवर्तन मौजूद था। शव में अकडन मौजूद थी। मृतका के शरीर पर मृत्युपूर्व की निम्नलिखित चोटें पायी गयीः–

1– आग्नेयास्त्र के प्रवेश का घाव 15 x 9 सेमी0 x गुहा की गहराई तक सिर के बांये हिस्से पर बांये कान से 4 सेमी0 ऊपर था, बाल जले हुए थे। चोट के किनारे अन्दर की तरफ मुडे थे।

2– आग्नेयास्त्र के निकास का घाव 17 सेमी0 x 11 सेमी0 सिर के दाहिने हिस्से तथा ऊपरी हिस्से पर दाहिने कान से 10 सेमी0 ऊपर तथा बांयी भौं से 1 सेमी0 ऊपर किनारे बाहर की तरफ मुडे थे।

3– खोपडी की सारी हड्डियां जैसे पैरिटल हड्डियां आक्सीपीटल हड्डी और फ्रेन्टल हड्डी सभी टूटे हुए थे। मस्तिष्क की झिल्लियां फटी हुई थी, मस्तिष्क फटा हुआ था खून भी मिला हुआ था। फेफडे में सफेदी मौजूद थी। हृदय खाली था। अमाशय में 250 ग्राम आंशिक रूप से पचा हुआ चावल मौजूद था। छोटी आंत में गैस तथा द्रव मौजूद था। बडी आंत में मल तथा गैस मौजूद थी। यकृत पर सफेदी मौजूद थी। स्पलीन तथा गुर्दा पर सफेदी मौजूद थी। पिताशय भरा हुआ था, पेशाब की थैली खाली थी।

डाक्टर के अनुसार मृतका की मृत्यु उसके शरीर पर आयी मृत्युपूर्व चोटों से उत्पन्न अत्याधिक रक्तस्राव तथा सदमें से हुई थी। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 है।

अभियोजन साक्षी संख्या 5 उदल सिंह (विवेचनाधिकारी) ने दिनांक 22–10–1997 को अपीलार्थी मलखान सिंह को गिरफतार किया तथा उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल तमंचा ननकू के खेत से बरामद किया। फर्द बरामदगी एक अदद तमंचा 12 बोर नाजायज प्रदर्श क–17 है। फर्द बरामदगी के आधार पर थाना पर अपीलार्थी मलखान सिंह के विरूद्व धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। धारा 25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित मुकदमें की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–18 है तथा कायमी मुकदमा से सम्बन्धित जी0 डी0 की प्रति प्रदर्श क–19 है। विवेचनाधिकारी ने बरामदगी स्थल का मानचित्र भी तैयार किया जो

प्रदर्श क–20 है। दौरान विवेचना गवाहों के बयान अंकित किया तथा चुटैल सुरेश की इंजरी रिपोर्ट प्राप्त कर उसका इन्द्राज केस डायरी में किया।

अग्रिम विवेचना उपनिरीक्षक, वी0 एम0 शर्मा द्वारा सम्पन्न की गयी उन्होने चुटैल सुरेश का बयान अंकित किया तथा विवेचना सम्बंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अपीलार्थी व एक अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क–21 न्यायालय प्रेषित किया। धारा 25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित मुकदमें की विवेचना अभियोजन साक्षी संख्या 6 उपनिरीक्षक,अशोक कुमार द्वारा की गयी उन्होंने गवाहों के बयान अंकित किया तथा बरामदगी स्थल का मानचित्र प्रदर्श क–22 तैयार किया। जिला मजिस्ट्रेट से अभियोजन की स्वीकृति प्रदर्श क–23 प्राप्त कर अपीलार्थी मलखान सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क–24 न्यायालय प्रेषित किया।

अपीलार्थी के मुकदमें को विचारण हेतु सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया।

विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलाथी मलखान सिंह के विरूद्ध धारा 302 एवं 307 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत एवं धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया तथा एक अन्य अभियुक्त अनन्तू के विरूद्ध धारा 302 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 व धारा 307 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जिससे उन्होंने इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश (वादी मुकदमा), अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन, अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश (चुटैल), अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर हरिशचन्द्र श्रीवास्तव, अभियोजन साक्षी संख्या 5 उदल सिंह (विवेचनाधिकारी) तथा अभियोजन साक्षी 6 अशोक कुमार (विवेचनाधिकारी, अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम), को परीक्षित कराया गया है।

अपीलार्थी मलखान सिंह एवं सह–अभियुक्त अनन्तू के बयान धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अंकित किये गये जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए अपीलार्थी मलखान सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 में यह कहा कि सुरेश व राम नरायन गीता को परेशान करते थे एक दिन गीता ने सुरेश की माँ को मारा तब सुरेश व राम नरायन ने गीता को मारने का प्लान बनाया व जलाने की कोशिश किया गीता सुबह भाग गयी तीन माह बाद लौटी। यह भी कहा कि राम नरायन ने फायर से पहले गीता को मारा फिर उसे मारने आये वह भागा तब राम नरायन ने फायर मारा जो उसके पैर में लगा। सुरेश आगे से घेर रहा था। दूसरा फायर झल्लर ने किया जो सुरेश को लगा। उसने दं0 प्र0 सं0 की धारा 156 (3) के अन्तर्गत दरखास्त दिया था उस पर मुकदमा कायम हुआ।

अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में बचाव साक्षी संख्या 1 गौरी शंकर तथा बचाव साक्षी संख्या 2 जैराम सिंह को परीक्षित कराया गया है।

अभियुक्तगण की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में धारा 156 (3) दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श ख–2 तथा उक्त आवेदन पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21–11–1997 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श ख–3 एवं पुलिस अधीक्षक को प्रेषित आवेदन पत्र दिनांकित 8–10–1997 की छाया प्रति व रजिस्ट्री की रसीद तथा अपीलार्थी मलखान सिंह की इंजरी रिपोर्ट की छाया प्रति प्रदर्श ख–1 दाखिल की गयी है।

विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं अभिलेखों पर सम्यक विचार करने के उपरान्त सह–अभियुक्त अनन्तू के विरूद्व आरोप को संदेह से परे साबित नहीं पाया तदनुसार उन्होंने सह–अभियुक्त अनन्तू को दोषमुक्त कर दिया लेकिन अपीलार्थी मलखान सिंह को धारा 302, 307 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्व पाते हुए

उपरोक्तानुसार दण्डित किया है जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील इस न्यायालय के समक्ष योजित की गयी है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रघुराज किशोर, राज्य की ओर से श्री एल0 डी0 राजभर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय व आदेश का सम्यक परिशीलन किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी निर्दोष है उसे इस प्रकरण में झूंठा फसाया गया है। अपीलार्थी को मृतका की हत्या कारित करने का कोई हेतुक नही था। मृतका एक सहमत पक्ष थी तथा अपीलार्थी के साथ वह स्वयं भागकर गयी थी। ऐसी दशा में अपीलार्थी द्वारा मृतका की हत्या करना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है बल्कि इसके विपरीत मृतका के घर से भाग जाने के कारण, मृतका के पति व उसके परिवारजन की बदनामी हुई थी इसी बदनामी के कारण मृतका के पति व उसके परिवारजन द्वारा मृतका की हत्या कारित की गयी है। अपीलार्थी को महज झूंठा फसाया गया है। यह भी तर्क रखा गया कि अभियोजन कथानक स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है। इस घटना में अपीलार्थी मलखान सिंह को भी आग्नेयास्त्र की चोटें आयी है लेकिन उसकी चोटों का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में सह–अभियुक्त अनन्तू की भी संलिप्तता बतायी गयी है तथा उसके विरूद्व भी थाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद दर्ज करायी गयी थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने सह–अभियुक्त अनन्तू की प्रश्नगत अपराध में संलिप्तता साबित नहीं पायी और उसे दोषमुक्त किया है और उन्हीं साक्षियों की साक्ष्य पर अपीलार्थी को दोषसिद्व एवं दण्डित किया है जो विधि संगत नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश निरस्त होने योग्य है एवं अपीलार्थी दोषमुक्त होने योग्य है।

इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि कि घटना के करीब सवा तीन माह पूर्व अपीलार्थी, मृतका को भगाकर ले गया था। मृतका का पति सुरेश

बम्बई में काम करता था जब उसे सूचना प्राप्त हुई तब वह घर वापस आया एवं दिनांक 15–10–1997 को मृतका को अपने घर वापस ले आया। घटना के दिन अपीलार्थी अपने बहनोई अनन्तू के साथ मृतका के घर पर गया तथा मृतका के पति को गालियां दते हुए मृतका को अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगा जिस पर मृतका ने उसके साथ जाने से इंकार कर दिया इस पर अपीलार्थी ने मृतका को तमंचे से गोली मार दी जिससे मौके पर मृतका की मृत्यु हो गयी जब वादी तथा उसके पिता राम नरायन व मृतका के पति सुरेश ने अपीलार्थी का पीछा किया तो उसने बचुन सिंह के खेत में मृतका के पति सुरेश को भी गोली मार दी जिससे उसे भी चोटें आयी। अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश, अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश (चुटैल) इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जिन्होनें अपने बयानों में अभियोजन कथानक का भली भाँति समर्थन किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने सह–अभियुक्त अनन्तू की संलिप्तता साबित नहीं पायी तदनुसार उसे दोषमुक्त कर दिया है लेकिन अपीलार्थी के विरूद्व लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित पाते हुए अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराध में दोषसिद्व एवं दण्डित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं है।

उल्लेखनीय है कि यह घटना दिनांक 18–10–1997 समय 7–30 बजे शाम की बतायी गयी है तथा इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी कमलेश ने दिनांक 19–10–1997 को 1–20 ए0 एम0 पर थाने पर दर्ज करायी है। घटनास्थल से थाने की दूरी आठ किमी. दर्शायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि वादी अपने चाचा को अस्पताल में भर्ती कराकर थाने आया है। उपरोक्त से यही स्पष्ट होता है कि चुटैल सुरेश को उपचार हेतु अस्पताल में दाखिल कर वादी कमलेश ने इस घटना की तहरीर बाबू लाल से लिखवाकर थाने में दाखिल कर अपीलार्थी एवं एक अन्य के विरूद्व मुकदमा पंजीकृत कराया है।

अपीलार्थी मलखान सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 में यह उल्लेख किया है कि सुरेश व राम नरायन गीता को परेशान करते थे एक दिन गीता ने सुरेश की माँ को मारा तब सुरेश व राम नरायन ने गीता को मारने का प्लान बनाया व जलाने की कोशिश किया गीता सुबह भाग गयी तीन माह बाद लौटी तब राम नरायन ने फायर मारा पहले गीता को मारा फिर उसे मारने आये वह भागा तब राम नरायन ने फायर मारा जो उसके पैर में लगा। सुरेश आगे से घेर रहा था। दूसरा फायर झल्लर ने किया जो सुरेश को लगा। यह भी कहा है कि उसने दं0 प्र0 सं0 की धारा 156 (3) के अन्तर्गत दरखास्त दिया था उस पर मुकदमा कायम हुआ।

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या घटना अभियोजन के कथनानुसार घटित हुई अथवा बचाव पक्ष के अनुसार तो अभियोजन कथानक यह है कि मृतका गीता को घटना के करीब सवा तीन माह पहले अपीलार्थी मलखान भगा ले गया था। दिनांक 15–10–1997 को मृतका का पति सुरेश मृतका को फतेहपुर से घर ले आया था। घटना के दिन दिनांक 18–10–1997 को रात्रि करीब साढे सात बजे मृतका अपने बच्चे को नाबदान पर टट्टी करा रही थी उसी समय अपीलार्थी मलखान व उसका बहनोई अनन्तू आकर मृतका के पति को गालियां देने लगे और कहा कि यह मेरी औरत होकर रहेगी। मृतका ने गालियां देने व साथ जाने से मना किया इस पर अपीलार्थी मलखान ने मृतका को तमंचे से गोली मार दी जिससे वह मौके पर मर गयी। वादी कमलेश उसके पिता राम नरायन तथा मृतका के पति सुरेश ने जब अपीलार्थी व अभियुक्त अनन्तू का पीछा किया तो खेत में अपीलार्थी मलखान ने चुटैल सुरेश को गोली मार दी जिससे उसे चोटें आयी।

अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश (वादी मुकदमा), अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश (चुटैल/मृतका के पति) को परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश ने अपने बयान में यह कहा है कि वह मुलजिमान अनन्तू व मलखान को जानता है। मलखान उसके गांव का रहने वाला है। अनन्तू मलखान के बहनोई है। अनन्तू उसके गाँव आते जाते थे। वह उन्हें भी घटना के पहले से जानता है। उसकी चाची गीता देवी थी। गीता की गोली मारकर हत्या हो गयी है। कत्ल के लगभग सवा तीन माह पहले मुलजिम मलखान गीता को भगा ले गया था उसके चाचा कत्ल के चार दिन पहले कचहरी में मलखान से सुलहनामा लगवा कर घर ले आये। आज से लगभग एक साल पांच माह की घटना है। लगभग साढे सात बजे रात्रि का समय था वह व उसके पिता राम नरायन अपने कटिया मशीन से चारा काट रहे थे। घर में उसके चाचा सुरेश, दादी बृजरानी, चाची गीता देवी थी और कोई नहीं था। आंगन में अंधेरा था लेकिन लालटेन जल रही थी। उसकी चाची गीता अपने बच्चे को नाबदान पर टट्टी करा रही थी उसी समय मलखान व अनन्तू आया। ये लोग आकर उसके चाचा को गाली देने लगे मलखान कह रहे थे कि यह तुम्हारी औरत नहीं है मेरी है तथा मेरी बनकर रहेगी। उसकी चाची ने मलखान को गाली देने से मना किया तथा साथ में जाने से मना किया। वह व उसके पिता, चाचा के दरवाजे पर आ गये। मलखान ने अपने हाथ में लिए तमंचा से उसकी चाची को गोली मार दिया। गोली मारकर मुलजिमान भागे उसके चाचा सुरेश, वह तथा उसके पिता ने मुलजिमान का पीछा किया। पीछा करने पर कुछ दूर जाने पर मलखान ने बचुन के खेत में उसके चाचा सुरेश को भी गोली मार दिया उसके चाचा वहीं गिर गये। इसके बाद हम लोगों ने चाचा को सदर अस्पताल में लाकर भर्ती किया। यह भी कहा कि उसकी चाची आंगन में ही जहां उन्हें गोली मारी गयी थी गिरकर मर गयी। चाचा को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसने बाबू लाल से तहरीर लिखाया। इस साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क–1 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साबित किया है तथा यह कहा है कि वह तहरीर लेकर अकेले थाना हुसैनगंज गया तथा तहरीर दीवान साहब को दिया। मुकदमा लिखा गया उसके बाद दरोगाजी घर आये

उसने दरोगाजी को घटनास्थल दिखा दिया था।

अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन ने अपने बयान में यह कहा है कि घटना के करीब सवा तीन माह पहले मलखान, गीता देवी जो उसके छोटे भाई सुरेश की पत्नी थी को भगा ले गया था। घटना हुए लगभग एक साल पांच माह हुआ जब गीता का कत्ल साढे सात बजे शाम को हुआ था उस समय वह व कमलेश कटिया मशीन पर चारा काट रहे थे। सुरेश व उसकी मां तथा गीता घर के अन्दर थी। वहां लालटेन जल रही थी। मलखान व अनन्तू साढे सात बजे शाम को आये तथा उसके भाई सुरेश को गाली देने लगे कहने लगे कि साले यह तुम्हारी नही रहेगी हमारी बनकर रहेगी। हम लोग मशीन बंद कर दरवाजे के पास आ गये। गीता ने जवाब दिया कि मलखान गाली से मतलब नहीं है अब हम तुम्हारे साथ नहीं जायेगें तब मलखान ने अपने हाथ में लिए तमंचे से गोली मार दिया। गोली गीता के सिर में लगी और वह खत्म हो गयी जब मलखान गोली मारकर भगे तब वह, उसका लडका कमलेश व सुरेश ने पीछा किया भाग कर 2–3 घर बाद घुमते हुए बचुन सिंह के खेत में मलखान व हम लोग पहुंचे उसका भाई आगे था। मलखान ने घूमकर उसके भाई सुरेश को गोली मारा। गोली सुरेश को लगी वह गिर गया तब मुलजिमान भाग गये। वह उसका लडका तथा गांव के और लोग सुरेश को सदर अस्पताल ले आयें। वह अस्पताल रह गया तथा लडके को थाने भेजा। कमलेश ने बाबू लाल से तहरीर लिखवाया। फतेहपुर में डाक्टर ने जवाब दे दिया तब भाई को लखनऊ ले गया। जिरह में यह बताया है कि घटना के समय वह व सुरेश एक ही मकान में अलग अलग रहते थे। उसे दिशा की जानकारी है। मकान में वह उत्तर रहता है व सुरेश दक्षिण रहते हैं उनका मुहार पूरब है। उसके मकान के पूरब व उत्तर रास्ता है। उसके मकान के उत्तर रास्ते के बाद उसका छप्पर है जिसमें उसकी कटिया मशीन है। उसी मशीन के पास वह व कमलेश मौजूद थे।

अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश (चुटैल) हैं उसने अपने बयान में यह कहा है कि वह मुलजिमान हाजिर अदालत को जानता

है इनके नाम मलखान व अनन्तू हैं। मृतका गीता उसकी पत्नी थी। गीता का सम्बंध मलखान से हो गया था। कत्ल के सवा तीन माह पहले मलखान उसकी पत्नी गीता को लेकर भाग गया था। घटना के तीन दिन पहले वह गीता को फतेहपुर से अपने घर ले गया। घटना हुए डेढ साल हुआ। शाम के साढे सात बजे का समय था वह घर में बैठा था। गीता बच्चे को नाबदान में टट्टी करा रही थी। उसका भाई व भतीजा मशीन में चारा काट रहे थे। मलखान व अनन्तू तमंचा लिए हुए उसके दरवाजे पर आये तथा उसे गाली देने लगे। मलखान ने कहा कि मादरचोद गीता मेरी है वह उसे ले जायेगा इस पर गीता ने मना किया और कहा कि गाली मत दो अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी तब मलखान ने गीता को तमंचे से गोली मार दिया। गीता को गोली लगी गीता तब गिर कर मर गयी। वह, उसका भाई राम नरायन, भतीजा कमलेश तीनों ने मलखान व अनन्तू का पीछा किया जब घर के पीछे बचुन सिंह के खेत में पहुंचा तब मलखान व अनन्तू ने गोली मारा। मलखान की गोली उसे नाक व आंख पर लगी तथा अनन्तू की गोली मलखान को लगी वह वहीं गिर गया तथा मलखान भाग गया। मलखान की गोली से चोट लगने पर उसके दाहिनी आंख की रोशनी चली गयी। उसे राम नरायन व कमलेश उठाकर लाये। बैलगाडी में लादकर बारहमील नाम के चौराहे पर लाये फिर उसका भाई चमरावा से बस लाया जिससे वह फतेहपुर अस्पताल गया। फतेहपुर अस्पताल में उसका डाक्टरी मुआइना हुआ। फतेहपुर अस्पताल से उसे लखनऊ मेडिकल कालेज भेजा गया जहां उसका इलाज हुआ ।

इस प्रकार उपरोक्त तीनों साक्षियों ने अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए यह बताया है कि अपीलार्थी मलखान ने गीता को गोली मारी जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी और जब गवाहान व चुटैल ने अपीलार्थी का पीछा किया तो बचुन सिंह के खेत में अपीलार्थी ने चुटैल सुरेश को भी गोली मार दी जिससे उसे चोटें आयी। यद्यपि अपीलार्थी का यह कथन है कि बदनामी के कारण वादी पक्ष के लोगों ने मृतका को

गोली मारी थी। फिर उसे मारने आये जब वह भागा तो राम नरायन ने फायर मारा जो उसके पैर में लगा। यह भी कहा कि सुरेश को झल्लर का फायर लगा था।

बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षी संख्या 2 के रूप में जैराम सिंह को परीक्षित कराया गया है उसने अपने बयान में यह कहा है कि वह सिधारी के पुरवा के राम नरायन, कमलेश, सुरेश को जानता है। शिवमंगल के पुरवा के विजयपाल व मेवा को जानता है तथा हरीराम को जानता है। मलखान मुलजिम को भी जानता है। सुरेश की औरत का कत्ल हुए लगभग दो साल हुआ। आठ बजे रात्रि को हुआ था। फायर पर वह वहां पहुंचा। सुरेश ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है वह बदजात थी। इसको मारने के बाद उपरोक्त 6 लोग सुरेश आदि मलखान के घर गये वह भी गया, बहुत लोग गये थे। सुरेश कह रहा था कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है अब मलखान को मारेगें। मलखान भागकर खेत में पहुंचा। विजयपाल ने पीछे से फायर किया वह मलखान को लगा। मेवा ने भी फायर किया वह सुरेश को लगा। विजय पाल के पास दो नली लाइसेंसी बन्दूक व मेवा के पास एकनली बन्दूक थी। बाकी सब लोग तमंचा लिए थे। इस तरह यह स्पष्ट है कि इस साक्षी ने सुरेश के बताने पर मृतका की हत्या सुरेश द्वारा करने की बात कही है तथा यह भी बताया है कि विजयपाल का फायर अपीलार्थी मलखान को लगा था और मेवा के फायर से चुटैल सुरेश को चोटें आयी थी तो उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी मलखान ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 में राम नरायन द्वारा मृतका पर फायर करने की बात कही है और राम नरायन के फायर से ही उसके पैर में चोट लगने का उल्लेख किया है। ऐसी दशा में अपीलार्थी के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 में उल्लिखित कथन व बचाव साक्षी संख्या 2 जैराम सिंह के बयानों में विरोधाभास है। अपीलार्थी मलखान ने राम नरायन द्वारा मृतका की हत्या कारित करना व उसे भी फायर कर चोट पहुंचाने की बात कही है जब कि बचाव साक्षी संख्या 2 जैराम सिंह का इससे भिन्न कथन है कि विजयपाल सिंह का फायर

अपीलार्थी मलखान को लगा तथा मेवा का फायर सुरेश को लगा। इस स्थिति में बचाव साक्षी संख्या 2 जैराम सिंह का कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। फिर कोई व्यक्ति अपने विरूद्व साक्ष्य एकत्रित करने हेतु किसी से यह नहीं कहेगा कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। ऐसी दशा में भी इस साक्षी का उक्त कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नही होता है बल्कि अपीलार्थी को बचाने के आशय से गलत कथन करने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बचाव साक्षी संख्या 1 गौरी शंकर ने अपने बयान में यह बताया है कि अनन्तू उसकी दुकान पर काम करता था। घटना के दिन वह सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक उसकी दुकान पर काम करता था। चूंकि अभियुक्त अनन्तू को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। ऐसी दशा में बचाव साक्षी संख्या 1 गौरी शंकर की साक्ष्य पर अब इस स्तर पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 में यह कथन किया है कि उसने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी की ओर से अभिलेख पर धारा 156 (3) दं0 प्र0 सं0 के आवेदन पत्र की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि प्रदर्श ख–1 भी दाखिल की गयी है जिसमें अपीलार्थी ने झल्लर का फायर उसके दाहिने पैर में लगने का उल्लेख किया है उक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0 प्र0 सं0 में अपीलार्थी मलखान ने झल्लर के फायर से उसे चोट आने का उल्लेख किया है जब कि अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 में राम नरायन के फायर से चोट आने की बात कही है। ऐसी दशा में अपीलार्थी का कथन बनावटी प्रतीत होता है। फिर बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश को यह सुझाव दिया गया है कि झल्लर के फायर से मलखान को चोटे आयी तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन को यह सुझाव दिया गया कि सुरेश ने मलखान

को गोली मारी व अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश को यह सुझाव दिया गया कि मलखान के भागने पर झल्लर ने उसे गोली मारी हो। इस तरह गवाहों को बचाव पक्ष की ओर से भिन्न भिन्न सुझाव दिए गये हैं। अपीलार्थी के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 एवं गवाहों को दिये गये सुझाव तथा बचाव साक्षी संख्या 2 जैराम सिंह के कथन में भिन्नता है। ऐसी दशा में बचाव पक्ष की कहानी स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं पायी जाती है।

यह बात अवश्य है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन की साक्ष्य में अपीलार्थी की चोटों के सम्बंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश ने अपने बयान में यह बताया है कि अनन्तू के फायर से अपीलार्थी मलखान को चोटें आयी थी। अपीलार्थी मलखान की चोटों का डाक्टरी परीक्षण डाक्टर के0 डी. उपाध्याय द्वारा दिनांक 18–10–1997 को समय 10–45 बजे रात्रि पर किया गया था। डाक्टरी परीक्षण के समय अपीलार्थी मलखान के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गयी हैं:–

1– आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव दाहिनी जांघ पर सामने बीच में 2.5 सेमी0 x 2 सेमी0। ताजा खून भरा था।

2– आग्नेयास्त्र का निकास घाव 2.5 सेमी0 x 1.5 सेमी0 दाहिनी जांघ पर। चोटों में खून भरा था।

अपीलार्थी की इंजरी रिपोर्ट को प्रदर्श ख–1 के रूप में अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर हरिश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रमाणित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि डाक्टर कपिल देव उपाध्याय को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है। ये चोटें चुटैल के किसी मर्मस्थल पर नहीं हैं। चोटें अपीलार्थी मलखान की जांघ पर पाये जाने का उल्लेख किया गया है। अन्तरिक क्षति एवं हड्डी टूटने आदि के सम्बंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। यद्यपि अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश ने अपने बयान में अपीलार्थी मलखान को अनन्तू के फायर से चोटें आने का उल्लेख किया है।

यदि हम इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त भी न माने तब भी उक्त आधार पर अभियोजन कथानक किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। अभियोजन की ओर से घटना के संदर्भ में तीन गवाहों का परीक्षित कराया गया है जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश स्वयं चुटैल है तथा उसका डाक्टरी परीक्षण डाक्टर कपिल देव उपाध्याय द्वारा दिनांक 18—10—1997 को समय 10—30 बजे रात्रि किया गया था उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गयी हैंः—

1— आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव दाहिने कान के पीछे 2 सेमी0 व्यास का, ताजे खून से भरा हुआ मांस तक गहरा।

2— आग्नेयास्त्र के निकलने का घाव दाहिने गाल पर नाक के बगल में 5 सेमी0 x 4 सेमी0। हड्डियां टूटी हुई ताजा खून निकलता हुआ मांस तक गहरा।

चुटैल की इंजरी रिपोर्ट की छाया प्रति प्रदर्श क—3 को अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर हरिश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा साबित किया गया है।

इंजरी रिपोर्ट के अवलोकन से यह विदित होता है कि चुटैल सुरेश को उसके कान के पास आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव पाया गया था जिसका निकास घाव गाल पर नाक के बगल में था तथा हड्डियां भी टूटी हुई पायी गयी है। इससे यह स्पष्ट है कि चुटैल सुरेश को उसके चेहरे व कान के पास मर्मस्थल पर आग्नेयास्त्र की चोटें पायी गयी थी तथा हड्डियां भी टूटी हुई थी।

मृतका का पोस्टमार्टम अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर हरिश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा किया गया था। मृतका के सिर में आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव व उसका निकास घाव पाया गया था। मृतका के पैराईटल, आक्सीपीटल व फ्रन्टल बोन सभी टूटे हुए थे। डाक्टर ने अपने बयान में यह उल्लेख किया है कि मृतका की मृत्यु दिनांक 18—10—1997 को समय साढे सात बजे शाम को हो सकती है तथा मृतका की चोटें तत्काल मृत्यु के लिए पर्याप्त थी। मृतका के शव का पंचायतनामा अभियोजन साक्षी संख्या 5 उपनिरीक्षक उदल सिंह ने अपने हमराही उपनिरीक्षक, आर0 एस0 शुक्ला से तैयार

कराया था। मृतका का शव आंगन में पडा पाया गया था। अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश, अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश (चुटैल) की साक्ष्य से यह साबित है कि मृतका को अपीलार्थी मलखान द्वारा तमंचे से फायर कर चोटें पहुंचायी गयी थी जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश, अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश की जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे घटना के सम्बंध में कोई सन्देह व्यक्त किया जा सके बल्कि उपरोक्त तीनों साक्षियों ने जिस तरह से घटना का वर्णन किया है वह स्वाभाविक एवं विश्वसनीय पाया जाता है। यह बात अवश्य है कि घटना के संदर्भ में किसी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तो उल्लेखनीय है कि मृतका की हत्या उसके घर के अन्दर आंगन में हुई थी। घटना के समय मृतका का पति मौजूद था। अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन वहीं घर के पास मौजूद थे जो कटिया मशीन पर चारा काट रहे थे शोरगुल सुनकर वे भी दरवाजे पर आ गये थे। अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन की साक्ष्य में यह आया है कि मृतका के पति व अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन का एक ही मकान था जिसके अलग अलग हिस्से में अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन व अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश निवास करते थे। इन परिस्थितियों में गालियों के शोर पर अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन का दरवाजे पर पहुंचकर घटना देखना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय है। चूंकि यह घटना शाम साढे सात बजे की है और मृतका के घर के अन्दर आंगन की है वहां मोहल्ला पडोस व गांव का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। ऐसी दशा में घटना के सम्बंध में यदि किसी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तो उससे अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। फिर अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश, अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन तथा

अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश की घटना के समय मौके पर उपस्थिति साबित है और उनकी साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से भी सम्पुष्ट है। ऐसी दशा में उपरोक्त तीनों साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।

अपीलार्थी की ओर से एक तर्क यह रखा गया कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश, अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन पुत्र व पिता है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश, अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश का चाचा व अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन का भाई है जो एक ही घर के सदस्य है एवं हितबद्व साक्षी है तो उल्लेखनीय हे कि मात्र मृतका के परिवार के सदस्य होने के नाते उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। ***2004 (12) एस0 सी0 सी0 414 भार्गवन एवं अन्य प्रति राज्य केरला*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है किः–

7. We shall first deal with the contention regarding interestedness of the witnesses for furthering prosecution version. Relatinship is not a factor to affect credibility of a witness. It is more often than not that a relation would not conceal actual culprit and make allegations against an innocent person. Foundation has to be laid if plea of false implication is made. In such cases, the court has to adopt a careful approach and analyse evidence to find out whether it is cogent and credible.

2018 एस0 सी0 सी0 529 खुर्शीद अहमद प्रति राज्य जम्मू एवं कश्मीर के मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्य यद्यपि वह पीडित का सम्बंधी हो यदि उसकी साक्ष्य विश्वसनीय है तो ऐसे साक्षियों की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए।

अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश, अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश की सम्पूर्ण साक्ष्य पर सावधानी पूर्वक विचार करने के उपरान्त हम इसी मत के हैं कि उपरोक्त तीनों साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है बल्कि उपरोक्त साक्षियों की कथित घटना के समय मौके पर उपस्थिति साबित है और उनकी साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से भी सम्पुष्ट है। ऐसी दशा में अपीलार्थी की ओर से रखे गये उक्त तर्क में हम कोई बल नहीं पाते हैं।

अपीलार्थी की ओर से एक तर्क यह रखा गया कि मृतका, अपीलार्थी के साथ भागी थी तथा वह सहमत पक्ष थी। ऐसी दशा में अपीलार्थी को उसकी हत्या कारित करने का कोई हेतुक नहीं था बल्कि मृतका का अपीलार्थी के साथ भाग जाने से वादी पक्ष के लोगों की बदनामी हुई थी इसी बदनामी के कारण उन्होंने मृतका की हत्या कारित की है और मृतका की हत्या वादी पक्ष के लोगों द्वारा करने का हेतुक भी प्रबल है। ऐसी दशा में अभियोजन कहानी स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है। उल्लेखनीय है कि यह घटना प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित है जहाँ घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध हो वहां घटना के हेतुक का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। ***2016 (4) काइमस 68 एस0 सी0 सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया सद्दीक उर्फ लालो गुलाम हुसैन शेख एवं अन्य प्रति राज्य गुजरात*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि:—

22. It is settled leagal position that even if the absence of motive, as alleged, is accepted, that is of no consequence and pales into insignificance when direct evidence establishes the crime. Therefore, in case there is direct trustworthy evidence of witnesses as to commission of an offence, the motive part loses its significance. Therefore, if the genesis of the motive of the occurrence is not proved, the ocular testimony of the witnesses as to the occurrence can not be discarded only on the ground of absence of motive, if otherwise the evidence is worthy of reliance. [See: **Hari Shankar Vs. State of U.P., (1996) 9 SCC 40; Bikau Pandey & Ors. Vs. State of Bihar, (2003) 12 SCC 616; Abu**

Thakir & Ors. Vs. State of Tamil Nadu, (2010) 5 SCC 91 ; State of U.P. Vs. Kishanpal & Ors., (2008) 16 SCC 73; and Bipin Kumar Mondal Vs. State of West Bengal, (2010) 12 SCC 91]

इसी आशय का मत माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***2016 (4) क्राइमस 121 एस0 सी0 सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया योगेश सिंह प्रति महाबीर सिंह एवं अन्य*** में व्यक्त किया है।

उल्लेखनीय है कि अभियोजन के अनुसार यह घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि घटना के करीब सवा तीन माह पहले अपीलार्थी मलखान मृतका को भगा ले गया था। दिनांक 15—10—1997 को मृतका का पति उसे फतेहपुर से वापस घर ले आया था। दिनांक 18—10—1997 को रात्रि करीब साढे सात बजे अपीलार्थी मलखान अपने बहनोई अनन्तू के साथ मृतका के घर गया तथा मृतका के पति को गालियां देते हुए बोला कि यह औरत उसकी होकर रहेगी। मृतका ने गाली देने से मना किया और अपीलार्थी के साथ जाने से इंकार कर दिया तब अपीलार्थी ने तमंचे से मृतका को गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गयी। अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश, अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश ने जब अपीलार्थी व सह—अभियुक्त अनन्तू का पीछा किया तो खेत में अपीलार्थी ने मृतका के पति सुरेश को भी गोली मार दी जिससे उसे गम्भीर चोटें आयी। अभियोजन कहानी से यह स्पष्ट है कि यह घटना दो भागों में घटित हुई है। प्रथम मृतका के घर में तथा दूसरी खेत में। अभियोजन के अनुसार, अपीलार्थी व उसका बहनोई अनन्तू मृतका के घर पर गये तथा अपीलार्थी मलखान ने गालियां देते हुए मृतका के पति से यह कहा कि यह औरत उसकी होकर रहेगी जब मृतका ने गाली देने से मना किया तथा अपीलार्थी के साथ जाने से इंकार कर दिया तब अपीलार्थी मलखान ने मृतका को उसके घर के अन्दर गोली मार दी। इस घटना को मृतका के पति सुरेश (अभियोजन साक्षी संख्या 3), कमलेश अभियोजन साक्षी संख्या 1 तथा राम नरायन अभियोजन

साक्षी संख्या 2 ने देखा है। उपरोक्त तीनों साक्षियों के बयानों में इस तरह की कोई बात नही आयी है जिससे की घटना के सम्बंध में कोई संदेह व्यक्त किया जा सके बल्कि उपरोक्त तीनों साक्षियों के बयानों से यह सिद्व है कि कथित घटना के समय अपीलार्थी ने मृतका को तमंचे से गोली मार दी जिससे उसकी घर के अन्दर आंगन में मृत्यु हो गयी तत्पश्चात अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश, अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश ने अपीलार्थी व सह–अभियुक्त अनन्तू का पीछा किया तो थोडी दूर जाकर खेत में अपीलार्थी ने सुरेश को गोली मार दी जिससे उसके चेहरे व कान के पास घातक चोटें आयीं। अपीलार्थी को भी जांघ में आग्नेयास्त्र की चोटें आना बताया गया है। यद्यपि अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश ने अनन्तू के फायर से अपीलार्थी मलखान के पैर में चोटें आने का उल्लेख किया है। अपीलार्थी मलखान ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 में राम नरायन के फायर से उसे चोटे लगने का उल्लेख किया है इससे यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश तथा अपीलार्थी मलखान को जो चोटें आने का उल्लेख किया गया है उसको पीछा करते समय खेत में आना बताया गया है। चूंकि यह घटना शाम साढे सात बजे की बतायी गयी है और मृतका की हत्या कारित करने के पश्चात जब अपीलार्थी व सह–अभियुक्त भागे तो गवाहों द्वारा उनका पीछा करने की बात कही गयी है। यद्यपि अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन ने अपने बयानो में अपीलार्थी मलखान को चोट कैसे और किन परिस्थितियों में आयी है इसका उल्लेख नहीं किया गया है तो यह हो सकता है कि अंधेरा होने के कारण वह उसकी चोटों को न देख पाये हों। फिर चोट जांघ पर पैर में थी। ऐसी दशा में अपीलार्थी को चोट कैसे और किन परिस्थितियों में लगी वे न देख पायें हो। अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश ने अपने बयान में अपीलार्थी मलखान को अनन्तू के फायर से चोट आने की बात कही है। थोडी देरे के लिए यह मान लिया जाए कि अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश को चोट लग गयी थी इसलिए वह यह न देख सका

हो कि अपीलार्थी मलखान को चोट कैसे आयी। गवाहों की साक्ष्य से यह साबित है कि मृतका की हत्या अपीलार्थी द्वारा तमंचे से गोली मारकर मृतका के घर के अन्दर आंगन में की गयी थी जिसे गवाहों द्वारा देखा गया है और जब गवाहान ने उसका पीछा किया तो खेत में उसने चुटैल सुरेश को भी गोली मार दी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिस स्थान पर चुटैल सुरेश को गोली मारी गयी थी उस स्थान पर विवेचनाधिकारी को एक खोखा कारतूस मिला था तथा घटना में प्रयुक्त तमंचे को भी अपीलार्थी मलखान के निशानदेही पर बरामद किया गया है उक्त तमंचा व खोखा कारतूस को विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क–25 पत्रावली पर उपलब्ध है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार बरामद खोखा कारतूस को अपीलार्थी की निशानदेही पर बरामद तमंचे से चलना पाया गया है। इससे यही स्पष्ट होता है कि खेत में जो खोखा कारतूस बरामद हुआ था उसे अपीलार्थी की निशानदेही पर बरामद तमंचे से चलना पाया गया है। ऐसी स्थिति में भी यही स्पष्ट होता है कि पीछा करते समय खेत में फायर कर अपीलार्थी मलखान ने चुटैल सुरेश को चोटें पहुंचायी थी। ऐसी दशा में चुटैल सुरेश की चोटों के सम्बंध में संदेह का कोई आधार नहीं पाया जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों में यदि अपीलार्थी की चोटों का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं भी दिया गया है तब भी घटना के सम्बंध में संदेह का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश, अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश की जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे की मृतका की हत्या, मृतका के पति अथवा उसके परिवारजन द्वारा बदनामी के कारण करने की बात स्वीकार की जा सके। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यही स्पष्ट है कि मृतका की हत्या अपीलार्थी द्वारा कारित की गयी थी तत्पश्चात गवाहों द्वारा पीछा करने पर अपीलार्थी ने सुरेश को भी तमंचे से फायर कर चोटें पहुंचायी थी। ऐसी दशा में अपीलार्थी की ओर से

रखे गये उक्त तर्क में हम कोई बल नहीं पाते हैं।

अपीलार्थी की ओर से एक तर्क यह भी रखा गया कि जिस बस से चुटैल सुरेश उपचार हेतु सदर अस्पताल गया था उसी बस से अपीलार्थी मलखान भी गया था तथा वह भी अस्पताल में भर्ती हुआ है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश, अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि मलखान भी उसी अस्पताल में भर्ती हुआ था। उल्लेखनीय है कि यदि अपीलार्थी मलखान उसी बस से गया था जिस बस से चुटैल उपचार हेतु गया था और अस्पताल में भर्ती हुआ तो मात्र उक्त आधार पर यह उपधारणा कायम नहीं की जा सकती है कि यह घटना अपीलार्थी द्वारा कारित नहीं की गयी है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमलेश, अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम नरायन तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश (चुटैल) को भी इस घटना में आग्नेयास्त्र की चोटें आयी है उपरोक्त साक्षियों ने अपने बयान में कथित घटना अपीलार्थी द्वारा कारित करने की पुष्टि की है तथा यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी मलखान ने मृतका को घर के अन्दर आंगन में गोली मार दी थी जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गयी जब उन्होने अपीलार्थी व सह–अभियुक्त का पीछा किया तो खेत में अपीलार्थी ने सुरेश को भी तमंचे से गोली मार दी जिससे उसे चोटें आयीं। ऐसी दशा में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से यह भली भांति सिद्ध है कि अपीलार्थी ने कथित घटना के समय मृतका को तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कारित की एवं पीछा करने पर चुटैल सुरेश को भी आग्नेयास्त्र से फायर कर चोटें पहुंचायी। अपीलार्थी की निशानदेही पर मृतका की हत्या में प्रयुक्त तमंचा दिनांक 22–10–1997 को ननकू के खेत से बरामद हुआ था। अभियोजन साक्षी संख्या 5 उपनिरीक्षक, उदल सिंह बरामदगी के साक्षी है उक्त साक्षी ने अपने बयान में यह कहा है कि उसने दिनांक 22–10–1997 को अभियुक्त मलखान सिंह को गिरफतार किया तथा उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल एक अदद तमंचा गांव के ननकू के

खेत से बरामद किया था जिसकी फर्द उसने तैयार की थी जो प्रदर्श क–17 है। यह भी कहा कि माल व मुलजिम को लाकर थाना दाखिल किया तथा धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया। धारा 25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–18 तथा मुकदमा कायमी से सम्बन्धित जी0 डी0 की प्रति प्रदर्श क–19 कांस्टेबिल मोहर्रिर चिन्तामणि के लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है। यह भी कहा कि उसने बरामदगी स्थल का मानचित्र प्रदर्श क–20 तैयार किया था। इस साक्षी ने अपीलार्थी की निशानदेही पर बरामद तमंचे को वस्तु प्रदर्श–1 के रूप में साबित किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 6 अशोक कुमार धारा 25 आयुध अधिनियम के मुकदमें के विवेचक है जिन्होनें अपने द्वारा की गयी विवेचना तथा उसके द्वारा विवेचना के दौरान तैयार किये गये कागजात, घटनास्थल का मानचित्र प्रदर्श क–22 व आरोप पत्र प्रदर्श क–24 को साबित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्व धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये आरोप को भी साबित पाया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं पाते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं अभिलेखों से यह साबित है कि कथित घटना के समय अपीलार्थी ने तमंचे से गोली मारकर मृतका गीता देवी की हत्या कर दी तथा चुटैल सुरेश को भी तमंचे से फायर कर चोटें पहुंचायी है तथा घटना में प्रयुक्त तमंचा भी अपीलार्थी की निशानदेही पर बरामद हुआ है तदनुसार अपीलार्थी के विरूद्व लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 302, 307 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 25 आयुध अधिनियम संदेह से परे सिद्व है। हम विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय एवं निष्कर्षों में कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं पाते हैं।

विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश समुचित विवेचना पर आधारित है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया जाता है तदनुसार यह दाण्डिक अपील बलहीन है एवं

निरस्त होने योग्य है।

तदनुसार यह दाण्डिक अपील **निरस्त** की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश की **पुष्टि** की जाती है।

अपीलार्थी ***मलखान सिंह*** जमानत पर है उसे आदेशित किया जाता है कि वह सजा भुगतने हेतु सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष अविलम्ब आत्मसर्मपण करे।

निर्णय की प्रति एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब सम्बन्धित न्यायालय को अनुपालनार्थ भेजी जाए।

दिनांकः 17—9—2019

अ